रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232388
CG-DL-E-04012022-232388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2022/पौष 13, 1943
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2022/PAUSHA 13, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 1 (अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच संचालित करने की प्रक्रिया नियम, 2004 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समुचित आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच संचालित करने की प्रक्रिया (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. समुचित आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच संचालित करने की प्रक्रिया नियम, 2004 (जिसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा), के नियम 3 में,

(क) उप नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, अपील अधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष ऐसी जांच करने के उद्देश्य से आरोपों के अभ्यारोपण और अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निर्देश जारी करेगी।";

1(**क**) राज्य सरकार से उप-नियम (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण के अध्यक्ष उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी करने से पहले निर्देश की एक प्रति उसके मत के लिए केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

1(**ख**) केंद्रीय सरकार से उप-नियम (1) के अधीन किसी भी राज्य आयोग से संबंधित निर्देश प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण के अध्यक्ष उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी करने से पहले संबंधित राज्य सरकार को उसके मत के लिए निर्देश की एक प्रति भेजेगा।"

(ख) उप नियम (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से चार सप्ताह के भीतर प्राप्त हुए मतों पर विचार करेंगे और उपयुक्त रूप से विचारों को सम्मिलित करने के पश्चात्, संबंधित सदस्य को, नोटिस में निर्दिष्ट समय और तारीख पर, उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा।"

[फा. सं. 23/11/2021-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 370 (अ), दिनांक 21 जून, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

G.S.R. 1 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Procedure for Conducting Inquiry against a Member of Appropriate Commission Rules, 2004, namely:-

1. **Short title and commencement.** –(1) These rules may be called the Procedure for Conducting Inquiry against a Member of Appropriate Commission (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Procedure for conducting Inquiry against a Member of Appropriate Commission Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rule), in rule 3,

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The Central Government or the State Government, either suo motu or on a complaint, shall make a reference along with imputation of charges and other relevant information for the purpose of conducting such inquiry to the Chairperson of the Appellate Tribunal in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 90 of the Act.";

1(A) On receipt of a reference under sub-rule (1) from the State Government, the Chairperson of the Appellate Tribunal shall send a copy of the reference to the Central Government for its views before issuing notice under sub-rule (2).

1(B) On receipt of a reference pertaining to any State Commission under sub-rule (1) from the Central Government, the Chairperson of the Appellate Tribunal shall send a copy of the reference to the concerned State Government for its views before issuing notice under sub-rule (2).”

(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall consider the views received within four weeks from State Government or Central Government and shall after suitably incorporating the views, issue a notice, to the Member concerned to appear before him on the time and date specified in the notice.”

[F. No. 23/11/2021-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 370 (E), dated the 21st June, 2004.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.04 16:33:26 +05'30'